



KISS Delhi

(A joint venture between Govt. of NCT of Delhi and Kalinga Institute of Social Sciences, Bhubaneswar)
Issapur, Najafgarh, Delhi – 110073

Admission Guidelines for Session 2018-19 for admission to Class I to VIII

के.आई.एस.एस. दिल्ली

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार एवं कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, भूबनेश्वर का संयुक्त उपक्रम)
ईसापुर, नजफगढ़, दिल्ली-110073

सत्र 2018-19 के लिए कक्षा 1 से कक्षा 8 में प्रवेश हेतु दिशानिर्देश

School Admission Process 2018-19

KISS Delhi, a newly setup school fully supported by government of Delhi and run by Kalinga Institute of Social Sciences, Bhubaneswar invites application for admission to classes I to VIII. KISS Delhi is a fully free fully residential co-education school providing quality education to Economically Weaker Section (EWS) children belonging to SC/Migrant ST/OBC/Minorities and Orphans category of the state of Delhi.

विद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया 2018-19

के.आई.एस.एस. दिल्ली सरकार के पूर्ण सहयोग द्वारा स्थापित तथा कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, भूबनेश्वर द्वारा संचालित नवीन विद्यालय है जो कक्षा 1 से 8 में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। के.आई.एस.एस. दिल्ली पूर्ण रूप से निःशुल्क तथा पूर्ण रूप से आवासीय सह-शिक्षा विद्यालय है। जो दिल्ली निवासी आर्थिक रूप से कमजोर (Economically Weaker Section) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/अल्पसंख्यक तथा अनाथ बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करता है।

General Information:

1. Admissions are open for class I to VIII.
2. School follows CBSE/NCERT curriculum of education.
3. For classes III to VIII number of seats available depends on vacant seats in that class. 50% of the seats are earmarked for girl students.
4. The school is fully residential with full boarding facilities. Staying in hostel is compulsory for students.
5. Students are not allowed to go home when the school is operational.
6. Along with free education, school will also provide free residential facilities, free food, free books, free dresses and uniform, free health facilities and all other basic amenities of life free of cost.
7. Attach all photocopies along with the registration form while **submitting the registration form at KISS Delhi, Village: Issapur, Najafgarh, Delhi – 110073.**
8. For admission please bring registration receipt, along with original copies of documents for which photocopies were provided at the time of registration.
9. In absence of original documents/incomplete documents/false information in registration form, the candidates registration and the right to admission to KISS Delhi will be cancelled without giving any reason to the parents.

सामान्य सूचना:

1. कक्षा 1 से 8 के लिए प्रवेश खुला है
2. विद्यालय में सी.बी.एस.ई./एन.सी.ई.आर.टी. का शैक्षिक पाठ्यक्रम है।
3. कक्षा 3 से 8 के लिए सीटों की उपलब्धता उन कक्षाओं में रिक्त सीटों पर निर्भर होगी। 50 प्रतिशत सीटें बालिकाओं/छात्राओं के लिए आरक्षित हैं।
4. विद्यालय बोर्डिंग सुविधाओं से युक्त पूर्ण आवासीय है। छात्रों का हॉस्टल में ठहरना अनिवार्य होगा।
5. विद्यालय खुला होने पर छात्रों को घर जाने की अनुमति नहीं होगी।
6. विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा के अतिरिक्त निःशुल्क आवासीय सुविधाएं, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क पुस्तकें, निःशुल्क ड्रेस, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं तथा समस्त मूलभूत सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाएंगी।
7. रजिस्ट्रेशन फॉर्म के.आई.एस.एस. दिल्ली, ग्राम: ईसापुर, नजफगढ़, दिल्ली-110073 में जमा करते समय फॉर्म के साथ समस्त फोटो कॉपी संलग्न करें।

8. प्रवेश के समय रजिस्ट्रेशन की रसीद तथा समस्त मूल अभिलेख अवश्य लाएं जिनकी फोटो कॉपी रजिस्ट्रेशन के समय उपलब्ध कराई गई थी।
9. मूल अभिलेख न होने पर/अधूरे अभिलेख होने पर/रजिस्ट्रेशन फॉर्म में गलत सूचना देने पर, अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन तथा के.आई.एस.एस दिल्ली, में प्रवेश का अधिकार माता-पिता को बिना कारण बताए निरस्त कर दिया जाएगा।

Criteria for Admission:

1. Age of the child should be between min. 5 yrs. & max.13 yrs. as on 31st March 2018
2. Students belonging to the state of only Delhi are eligible.
3. Children of parents having a family annual income of less than Rs. 100000 are only eligible.
4. Reservation is provided for SC/Migrant ST/OBC/Minorities and Orphans in the following ratio 40:10:20:20:10 (Preference will be given to migrant STs Upto the extent of 50% under Minorities).In case of shortfall in any one category students from the other category will be offered seat. Out of the total seats 50% of the seats are earmarked for girl students. If sufficient girl students are not available for admission the seats available will be offered to boy students.
5. 3% seats are reserved for physically disabled students.

प्रवेश हेतु निर्धारित मानदंड:

1. बच्चे की आयु 31 मार्च 2018 को न्यूनतम 5 वर्ष तथा अधिकतम 13 वर्ष होनी चाहिए।
2. केवल दिल्ली के छात्र ही प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
3. बच्चों के माता-पिता की वार्षिक पारिवारिक आय रु. 100000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/अल्पसंख्यकों तथा अनाथ बच्चों को 40:10:20:20:10 के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जाएगा (प्रवासी अनुसूचित जनजातियों को अल्पसंख्यकों के अंतर्गत 50 प्रतिशत संख्या तक वरीयता दी जाएगी)। यदि किसी वर्ग के छात्रों की संख्या उस वर्ग को प्रदान की जाने वाली सीटों की संख्या से कम होगी तो उनकी सीटों को अन्य वर्गों के छात्र/छात्राओं से भरी जाएगी। कुल उपलब्ध सीटों की 50 प्रतिशत सीटें बालिकाओं/छात्राओं के लिए आरक्षित होंगी। यदि पर्याप्त बालिकाएं उपलब्ध नहीं होंगी तो वे आरक्षित सीटें लड़कों को प्रदान की जाएंगी।
5. 3 प्रतिशत सीटें शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए आरक्षित हैं।

Fees:

KISS Delhi school is entirely free. No fee of any kind is charged from students or their parents for education or residential facilities or any other items/services provided by the school.

शुल्क:

के.आई.एस.एस दिल्ली विद्यालय पूर्ण रूप से निःशुल्क है। बच्चों या उनके माता-पिता से विद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा, आवासीय सुविधाओं या अन्य सामग्री/सेवाओं के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।

Documents required at the time of admission:

प्रवेश के समय आवश्यक अभिलेख:

1. Proof of Birth:

- a. Birth certificate with name of the child, under the Births, Deaths and Marriages Certification Act, 1986.
- b. Hospital/Auxiliary Nurse and Midwife (ANM) register record.
- c. Anganwadi Record.

जन्म प्रमाणपत्र:

- a. बच्चे के नाम वाला जन्म प्रमाणपत्र जो जन्म, मृत्यु तथा विवाह प्रमाणन अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी किया गया हो।
- b. अस्पताल/आग्जिलरी नर्स तथा मिडवाइफ (ANM) रजिस्टर का रिकॉर्ड।
- c. आंगनवाड़ी रिकॉर्ड।

2. Proof of Residence:

- a. Ration card issued in the name of parents (mother/father having name of the child)

- b. Domicile certificate of child of his/her parents.
- c. Voter I – card of any of the parents.
- d. Electricity bill/MTNL bill/Water Bill.
- e. Unique Identity Card (Aadhar) of mother/father/child/Guardian issued by Govt. of India.
- f. Passport in the name of any of the parents or child.

निवास प्रमाणपत्र:

- a. माता-पिता के नाम जारी राशन कार्ड (माता/पिता के साथ-साथ बच्चे का भी नाम हो)
- b. बच्चे क माता/पिता का मूल निवास प्रमाणपत्र
- c. माता या पिता में से किसी एक का मतदाता पहचान पत्र
- d. बिजली का बिल/एमटीएनएल बिल/पानी का बिल
- e. भारत सरकार द्वारा जारी माता/पिता/बच्चे/अभिभावक का यूनिक आइडेंटिटी कार्ड (आधार)
- f. माता/पिता या बच्चे में से किसी का पासपोर्ट

3. Proof of Income:

- a. Income certificate issued by a Revenue Officer not below the rank of Tehsildar.
- b. BPL Ration Card (Yellow Colored)
- c. AAY Ration Card (Pink Colored)
- d. Food Security Card issued by Food & Supply Dept. of GNCTD

आय प्रमाणपत्र:

- a. तहसीलदार स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाणपत्र
- b. बीपीएल (BPL) राशन कार्ड (पीले रंग वाला)
- c. एएवाइ (AAY) राशन कार्ड (गुलाबी रंग वाला)
- d. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा जारी फूड सिक्योरिटी कार्ड

4. Proof of Category:

- a. Caste certificate issued by Revenue Dept. GNCTD (DC office) in respect of SC/ST/OBC (Non Creamy Layer)/Minorities of Child/Parents.
- b. Orphans: A certificate issued in accordance with instruction issued by the Department of Women and Child Development, GNCT of Delhi, vide order dated 11.12.12 in case of Orphan Child.
- c. Medical certificate issued by Govt. Hospital in respect of child with Special Needs/Disabled

जाति तथा वर्ग प्रमाणपत्र:

- a. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों (नॉन क्रीमी लेयर)/अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग (जिलाधिकारी कार्यालय) द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र।
- b. अनाथ: अनाथ बच्चे के मामले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 11.12.2012 को जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रमाणपत्र।
- c. विशेष जरूरतों वाले/विकलांग बच्चों की दशा में सरकारी अस्पताल द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाणपत्र।

5. Previous School Record:

- a. Transfer Certificate/School Leaving Certificate signed by head of the institute.
- b. Report Card/Progress Report of the student.

पूर्व विद्यालय के अभिलेख:

- a. संस्था प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित स्थानांतरण प्रमाणपत्र/विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र
- b. छात्र/छात्रा का अंक पत्र/रिपोर्ट कार्ड

Contact:

1. *For Registration, General Information & Admission*

KISS Delhi
Village: Issapur
Najafgarh
Delhi – 110073
Contact No. : +91- 9953274389

संपर्क करें:

- 1 पंजीकरण, सामान्य जानकारी तथा प्रवेश के लिए
के.आई.एस.एस. दिल्ली
ग्राम: ईसापुर
नजफगढ़
दिल्ली-110073
संपर्क सूत्र: +91- 9953274389